राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4108/2010

डॉ. मोहम्मद अकरम खान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थी

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.11.2010

आदेश की दिनांक : 12.10.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.12.2009 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को दिनांक 25.11.2008 से कार्यभार संभालने की तिथी तक की अवधि को अकार्य अवधि (dies non) मानते हुए उसकी सेवा अवधि की गणना कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 1989 में हुई थी और उसे कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर वर्ष 2001 में पदोन्नत किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी विधानसभा चुनाव लडने के कारण उसने दिनांक 17.11.2008 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु विभाग के समक्ष प्रार्थना की और नियम 1996 के नियम 50 के अंतर्गत अपीलार्थी ने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण की। उसने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि दिनांक 17.11.2008 से उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार की जावे, जिससे

वह नामांकन पत्र भर सके। परंतु अपीलार्थी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 17.11.2008 तक स्वीकृत नहीं की गई और न ही उसे कोई स्वीकार अथवा निरस्त के बारे में सूचना दी गई। अपीलार्थी नामांकन पत्र भी नहीं भर सका और इसलिए प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2008 को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति को प्रत्याहृत (withdraw) की जावे। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 14.11.2008 को दिनांक 19.11.2008 को डिस्पेच विभाग द्वारा किया गया और इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 17.11.2008 को सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो चुका है। परंतु यदि अपीलार्थी को विभाग द्वारा फैक्स के माध्यम से सूचना दिनांक 17.11.2008 को दी जाती तो अपीलार्थी नामांकन पत्र चुनाव में भर सकता था, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2540/2008 प्रस्तुत की और अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 14.07.2009 को पारित किया गया तथा अपीलार्थी को बहाल किए जाने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 16.07.2009 को कार्यग्रहण किया। उनका कथन है कि दिनांक 25.11.2008 से पुनः कार्यग्रहण करने की तिथि तक का समय सेवाकाल माना जावे, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु विभाग द्वारा उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.12.2009 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को दिनांक 25.11.2008 से कार्यभार संभालने की तिथी तक की अवधि को अकार्य अवधि (dies non) मानते हुए उसकी सेवा अवधि की गणना कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किया गया और विधानसभा आम चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाने के कारण उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रार्थना पत्र वापिस लिए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उक्त मामले के संबंध में अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की, अधिकरण के आदेश की पालना में अपीलार्थी को पुनः दिनांक 16.07.2009 को कार्यग्रहण करवाया गया, परंतु अधिकरण के आदेश में यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि दिनांक 25.11.2008 से 15.07.2009 तक की अवधि को अकार्य अवधि मानते हुए कोई पारिणामिक लाभ नहीं दिए जाएंगें, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अधिकरण के आदेश के विपरीत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 1989 में हुई थी और उसे कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर वर्ष 2001 में पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.11.2008 से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई। जबकि विभाग द्वारा उसे दिनांक 17.11.2008 के मध्यान्ह् पश्चात् से सेवानिवृत्ति करने का आदेश जारी किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी विधानसभा आम चुनाव में नामांकन दाखिल नहीं कर सका और चुनाव लड़ने हेतु चाही गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण अपीलार्थी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रार्थना पत्र को प्रत्याहृत (withdraw) करने हेतु विभाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने पर अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2540/2008 प्रस्तुत की गई और अधिकरण के आदेश दिनांक 14.07.2009 के द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 14.11.2008 को अपास्त किया गया और अपीलार्थी को वापिस राज्य सेवा में दिनांक 15.07.2009 को कार्यग्रहण करवाया गया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.11.2008 से कार्यग्रहण दिनांक 15.07.2009 की अवधि को अकार्य अवधि मानते हुए पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अधिकरण के आदेश में दिनांक 25.11.2008 से 15.07.2009 तक की अवधि को अकार्य अवधि मानते हुए कार्यग्रहण करवाए जाने का आदेश पारित किया गया है। अधिकरण के आदेश दिनांक 14.07.2009 (अनुलग्नक–7) में निम्नलिखित आदेश दिया गया है :–

''अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 14.11.2008 अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी राज्य सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को वापिस राज्य सेवा में ड्यूटी पर लिया जावे।''

इस प्रकार दिनांक 25.11.2008 से 15.07.2009 तक की अवधि को अकार्य अवधि माने जाने का कोई निर्देश दिया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क में हमें कोई बल प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.12.2009 को अपास्त फरमाया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 25.11.2008 से 15.07.2009 तक की अवधि को सेवा अवधि मानते हुए वास्तविक लाभ न देकर समस्त पारिणामिक एवं पेंशन परिलाभ आदि नियमानुसार प्रदान किए जाने पर विचार किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य